

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2013—चैत्र 16, शक 1935

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. एफ-03-72-2007-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

अनुसूची चार में, कॉलम (1) से (7) में, शब्द “उप वन क्षेत्रपाल” तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (2) में उल्लेखित पद पर सेवा की न्यूनतम कालावधि	पदोन्नति प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	विशिष्ट अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वन	उप वन क्षेत्रपाल	वन क्षेत्रपाल	3 वर्ष	वरीयता प्रधान उपयुक्तता गौण.	1. अध्यक्ष—अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य. 2. सदस्य—अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वन विभाग. 3. सदस्य—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल.	

No. F.-03-72-2007-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class -III (Non-Ministerial) Forest Services Recruitment Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In Schedule IV, in column (1) to (7) for the words “Deputy Ranger” and entries relating thereto, the following words and entries relating there to shall be substituted, namely :—

Name of the Department	Name of the service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Minimum period of service on the post mentioned in column-2	Promotion procedure or selection procedure	Name of the members of departmental promotion committee	Special remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Forest	Deputy Ranger	Ranger	3 years	Seniority subject to fitness.	1. Chairman—Chairman Madhya Pradesh State Public Service Commission or any member nominated by him. 2. Member—Additional Chief Secretary/Principal Secretary Forest Department. 3. Member—Principal Chief Conservator of Forests Madhya Pradesh, Bhopal.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.